

Regarding the need to recruit primary teachers in Uttar Pradesh and to fill vacant posts

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नये विज्ञापन की भर्ती में हो रही देरी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वर्ष 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024 में स्वीकार किया था कि 45,256 शिक्षक के पद वैकेंट पड़े हैं। इतना ही नहीं हर वर्ष लगभग आठ हजार से दस हजार शिक्षक सेवा से रिटायर हो रहे हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अधिक गंभीर हो गई है।

मेरी सरकार से मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और सभी पदों को ट्रांसपेरेंट तरीके से भरा जाए।